न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –52 / 2014 दायर दिनांक 02.06.2014 GCMS CASE NO-2014/00159

वीरवलराम पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—प्रार्थी

बनाम

1. नाथाराम उर्फ नथूराम पुत्र आदूराम मेघवाल निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।
3. उपपंजीयक, सूरतगढ़

——अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 11–14 उपनिवेशन अधिनियम–1954
सपठित नियम–14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भू–आवंटन) नियम–1970

उपस्थित–

1. श्री भागीरथ विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भगवानदत्त शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से

–::निर्णय::– दिनांक : 27.04.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त रा0न0यो0 सूरतगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 833 / 1974 में पारित निर्णय दिनांक 18.04.1975 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को पुख्ता आवंटित भूमि यथा चक 4 एम.सी. के पत्थर नम्बर 76 / 57 का किला न. 1 ता 255 की 6.200 है0 रकबा का आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित मूल अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने रोही उदयपुर के खसरा न. 21 / 13 में 7.084 है0 यानि करीब 28.00 बीघा रकबा उपनिवेशन के समय टीसी आवंटन करवाया, जिसमें से 2.922 हैक्टयर बारानी भूमि के खातेदार दिनांक 30.07.2008 को तहसीलदार सूरतगढ़ से प्राप्त कर लिये तथा शेष 4.162 है0 रकबा बतौर गैरखातेदारी आज भी उसके [illegible] के पास चक 1.825 आरडीएल के पत्थर न. 155 / 23 का किला न. 11 / 1, 15 ता [illegible] 21–[illegible] कीं 1.940 है0 कमाण्ड़ व पत्थर 155 / 31 का किला न. 6, 7, 11 ता 15 की 1.7710 है0 [illegible] पत्थर न. 155 / 39 का किला न. 10 की 0.253 है0 इस चक का कुल 3.9640 है0 [illegible] खातेदारी भूमि [illegible] नाथाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। [illegible] अपना असली नाम नाथाराम [illegible] का नाम आदूराम छिपा कर चक 4 एमसी का पत्थर न. 76 / 57 में किला न. 1 ता 25 में 6.200 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

रकबा तत्कालीन आवंटन एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त सूरतगढ़ से दिनांक 18.04.1975 को पुख्ता आवंटन करवा लिया। जबकि वह उक्त आवंटन का हकदार नहीं था। चूंकि नथू उर्फ नाथाराम आदूराम का पुत्र है ना कि हरीराम का। अगर वह अपने पिता का सही नाम आदूराम बता देता तो इस नाम से तो पहले से ही 25 बीघा से अधिक रकबा अप्रार्थी के नाम व कब्जा काश्त में चला आ रहा था। इसलिए अप्रार्थी ने अपने पिता का नाम दूसरा लिखवाकर पुख्ता आवंटन करवा लिया। रकबा आवंटन करवाने से पहले से ही वह पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी करता था इस तथ्य को भी छुपाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता का नाम उसकी समस्त वोटरलिस्टो, चुनाव पहचान पत्र, राशनकार्ड व सरकारी नौकरी सभी में पिता का नाम आदूराम है जबकि चक 4 एमसी की भूमि को आवंटन करवाते समय जानबूझ कर सरकार को धोखा देकर 25 बीघा पुख्ता आवंटन करवाया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा अप्रार्थी द्वारा तथ्य छिपाकर व पिता का नाम गलत बताकर चक 4 एमसी का पत्थर न. 76/57 का किला न. 1 ता 25 का 6.200 है0 रकबा बहक सरकार लिया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डीएनजे–2002 पेज 688, डीएनजे–2001 (राज.) आरआरसी 1999 पेज 451 की ओर ध्यान दिलाया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। पिता की मृत्यु उपरान्त परिवार का पालन–पोषण करने के कारण अप्रार्थी अपने ताऊ का नाम बतौर पिता अंकित त्रुटिवश करवाता रहा है। गावं का व्यक्ति है, किसी प्रकार के धोखा देने की मन्शा से पिता का नाम गलत अंकित नहीं करवाया। इस गलत अंकन से उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला एक भूमिहीन व्यक्ति को आवंटन होने योग्य भूमि का उसे आवंटन हुआ है। वर्तमान में उसके धारण में चक 4 एम.सी. की 24.00 बीघा अनकमाण्ड, उदयपुर की 2.922 हैक्टयर अनकमाण्ड खातेदारी भूमि है। चक 1.825 आर.डी. एल. की भूमि पैतृक है वह उसके अधिकतर हिस्सा दस्तबरदारी से प्राप्त हुआ है। उक्त समस्त तथ्यों की जांच कर ही उसको 38–00 बीघा अनकमाण्ड में से मात्र 2.922 अनकमांड अर्थात 11.00 बीघा की ही खातेदारी दी गई है। शेष रकबाराज पूर्व में ही घोषित की जा चुकी है। पैतृक भूमि में भी भूमि सहदायी होने से करीब 2.00 बीघा कमाण्ड के बराबर भूमि उसे प्राप्त होती है। जहां तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है आवंटन दिनांक को वह बेलदार पद पर कर्मचारी था। वर्ष–1982 से पूर्व सरकारी कर्मचारी का आवंटन कृषक पेशा मानकर किया जा सकता है। मुझ अप्रार्थी का आवंटन करीब 40–45 वर्ष पूर्व अर्थात् दशको वर्षों पूर्व का है। प्रश्नगत भूमि को अप्रार्थी एवं उसके परिवार द्वारा काबिल काश्त बनाया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे–2016 पेज 405, डीएनजे 1997 पेज 632 तथा आवंटन नियम–1975 की धारा 2(xiii) की ओर ध्यान दिलाया।

अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 नाथाराम के पिता का असली नाम आदूराम है ना कि हरीराम। अप्रार्थी ने अपने पिता का असली नाम छुपाकर आवंटन करवाया है, क्योकि अगर वह अपने पिता का सही नाम आदूराम बता देता तो इस नाम से तो पहले से ही 25 बीघा से अधिक रकबा अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड व कब्जा काश्त में चला आ रहा था। इसलिए अप्रार्थी ने अपने पिता का नाम दूसरा लिखवाकर पुख्ता आवंटन करवा लिया। इस संबंध में हमने पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब की मद संख्या 8 में अंकन करते हुए यह स्वीकार किया गया है दस्तावेजात में पिता का नाम आदूराम दर्ज है। अप्रार्थी के बचपन में ही उसके पिता का स्वर्गवास होने पर पालन पोषण हरीराम द्वारा किये जाने पर हरीराम को ही पिता का दर्जा दिया गया है, इसी कारण से आवंटन प्रार्थना पत्र में पिता का नाम हरीराम अंकित किया गया। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र में पिता का नाम सहवन से हरीराम अंकित गया है, जो कि क्षमा

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

योग्य त्रुटि है। इसके अतिरिक्त वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चक 1.825 आरडीएल की जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 20/19 में अप्रार्थी संख्या 1 नाथाराम के नाम 3.711 कमाण्ड तथा 0.253 अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त रकबा पैतृक भूमि होना स्वयं प्रार्थी ने स्वीकार किया है। पैतृक भूमि होने से यह भूमि सहदायी की श्रेणी में आती है, जिसमें अप्रार्थी की पत्नी/पुत्र/पुत्रियों का भी हिस्सा है। परन्तु कितना हिस्सा बनता है यह उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार स्पष्ट नहीं है। इसमें अप्रार्थी के हिस्सा में पैतृक भूमि कितनी आई तथा दस्तबरदारी से कितनी भूमि आयी है, यह स्पष्ट नहीं है। मूल पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थी के पुख्ता आवंटन के प्रार्थना पत्र में सन 1975 में परिवार में 5 सदस्य बताये गये है। इस प्रकार गणना करने पर प्रार्थी के हिस्सा में 2.00 बीघा कमाण्ड भूमि ही आती है, जो कि 4.00 बीघा अनकमाण्ड़ भूमि बनती है। यदि अप्रार्थी के हिस्सा में उक्त अनकमाण्ड़ भूमि को माना भी जावे तो आवंटित 36.10 बीघा को जोडकर कुल 40.10 बीघा से अधिक भूमि नहीं बनती है।

प्रार्थी का द्वितीय कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने सरकारी नौकरी में रहते हुए उक्त आवंटन करवा लिया जो कि अवैद्य है। पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि अप्रार्थी को उक्त रकबा दिनांक 18.04.1975 को आवंटन हुआ है। इस संबंध में वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 1997 पेज 632 गोपीराम बनाम् राजस्थान सरकार में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि **Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Govt. Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975-Rule 2(xiii) & 22(3)-Petitioner was in Govt. Service and was a teacher at the time of allotment-Allotment was not barred before the amendment of 1982-Respondent cancelled the allotment in 1982-Revision & review petition also dismissed-Petitioner in physical & cultivatory possession of the land-Unreasonable long delay in cancelling the allotment No justification in cancelling the allotment & dispossessing the petitioner from the land.**

चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 का आवंटन सन 1975 का है, जो सन 1982 के संशोधन से पूर्व का होने के कारण अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसरण में नियमानुसार किसी प्रकार से बाधित नहीं है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत **RAJASTHAN LAND REVENUE (Allotment of Land for Agricultural purposes) Rules 1957- Rule 13 Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural purposes) Rules 1970 Rule 14 (4)- (1) After acquisition of khatedari rights on the land proceeding for cancellation of allotment under Rule 14 (4) of 1970 Rules cannot be initiated. After acquisition of khatedari rights provisions of Rajasthan Tenancy Act are applicable and proceedings can be initiated under the provisions of Rajasthan Tenancy Act. (II) There is no Justification that after 44 years of allotment of land the allotment should be cancelled (iii) Allotment of land was made under the Rules of 1957 and not under Rule of 1970.** भी इस प्रकरण में पूर्णतः लागू होता है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन पाया जाता है जिसे खारिज करना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन पाये जाने से खारिज किया जाता है। आदेशिका दिनांक 03.06.2014 द्वारा जारी स्थगन आदेश भी निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:43 IST
Reason: SelfAttested

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner